

Name and address of the Complainant :- आरक्षी केन्द्र सरई जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

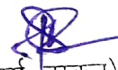
Name, Parentage, Caste and Address of accused

नाम अभियुक्त - चौधुरी लाल शं जेठाव पुलाद उम 32 वर्ष लालपापल  
OP निवासी 13 सरई

The offence complained of and date of its alleged commission --

1. आपने दिनांक 13/09/2022 को 19:30 बजे, आरक्षी केन्द्र सरई अंतर्गत ग्राम पापल में 20 पाव देरि जदिरा शराब कुल कीमत रुपये 1000 /- को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा/परिवहन किया गया ?

और ऐसा करके तुमने वह कार्य किया जो धारा 34 (A) आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के संज्ञान में है। आपको अपना अपराध स्वीकार है अथवा विचारण चाहते हैं।

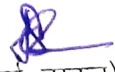
  
(हर्ष ठाकुर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination ( if any ) -

अपराध स्वीकार है

चौधुरी लाल

  
(हर्ष ठाकुर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

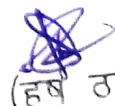
The offence proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of Sub-section (i) of Section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

—:: निर्णय ::—

(दिनांक 11/10/2022 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34 (1) आवककारी अधिनियम के अधीन अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
- 2— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34 (1) आवककारी अधिनियम के अन्तर्गत अपराध विवरण विचरित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया।
- 3— अभियुक्त स्वतंत्र सहमति से समझने के पश्चात् स्वेच्छया आराध किया जाना स्वीकार किया।
- 4— उपरोक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34 (1) आवककारी अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाया जाता है।
- 5— अभियुक्त से कुल 20 पाक लीटर शराब जप्त हुई है, यह दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के परिणाम स्वरूप अभियुक्त को धारा 34 (1) आवककारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
- 6— अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त को 07 दिवस के साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 7— प्रकरण में जप्तशुदा 20 पाक लीटर हाथ की महुआ शराब विधिवत नष्ट की जावे/आवककारी विभाग को लौटाई जावे। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे। निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

  
(हर्ष ठाकुर)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

  
(हर्ष ठाकुर)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)